

प्रधानमंत्री आवास योजना (Planning Minister Put Efforts – Government Plans)

उद्देश्य

- पूरे देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण करना
- 500 कक्षा-1 शहरों पर प्रारंभिक ध्यान देते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को कवर (आवरण) करना जिसमें 4041 वैधानिक कस्बें सम्मिलित होंगे।

अपेक्षित लाभार्थी

- गरीब लोग (बीपीएल) और
- देश के शहरी भागों में रहने वाले इडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर समूह) एवं एलआईजी (निम्न आय समूह) श्रेणी के लोग

मुख्य विशेषताएं

- आवास का स्वामित्व महिला के नाम अथवा उसके पति के साथ संयुक्त रूप से होगा
- राज्यों को आवास निर्माण की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमों में छूट दी गयी है
- **स्लम रिहैबिलिटेशन** प्रोग्राम (कार्यक्रम) (बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम) के तहत प्रति आवास औसतन एक लाख रु. केन्द्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा
- यह योजना निम्नलिखित तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी:-
 - Ø चरण- (अप्रैल 2015-मार्च 2017)- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उनके इच्छानुसार चुने गए 100 शहरों को कवर किया जायेगा
 - Ø चरण -(अप्रैल 2017-मार्च 2019)-200 अतिरिक्त शहर कवर किये जायेंगे और
 - Ø चरण (अप्रैल 2019-मार्च 2022)-शेष सभी शहर कवर किये जायेंगे